

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07092026-276038
SG-DL-E-07092026-276038असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]	दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2026/भाद्र 9, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 188
No. 252]	DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2026/BHADRA 9, 1948	[N. C. T. D. No. 188

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 अगस्त, 2026

फा. सं. डीए/37/2025-अभि0/1709 — मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित दिनांक 29/06/2026 के मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 3347 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली अभिलेखागार विभाग की योजना "अभिलेखागार में शोध अध्येतावृत्ति" के कार्यान्वयन को अनुमोदन प्रदान करते हैं।

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

- इस योजना को "अभिलेखागार में शोध अध्येतावृत्ति" कहा जाए।
- यह योजना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2. योजना का कार्यक्षेत्र :-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की अभिलेखीय विरासत का संरक्षण, व्याख्या और सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य के साथ यह अध्येतावृत्ति योजना दिल्ली अभिलेखागार विभाग द्वारा धारित अभिलेखीय अभिलेखों और संबद्ध सामग्रियों पर आधारित शोध और विकास गतिविधियों को कवर करेगी, जिसमें अभिलेख प्रबंधन, मूल्यांकन, व्यवस्था,

विवरण, अभिलेखीय सामग्री का संरक्षण और परिरक्षण, डिजिटलीकरण और माइक्रोफिलिमिंग, मेटाडेटा और डिजिटल परिसंपत्तियों का निर्माण, प्रकाशनों, कैटलॉग, प्रदर्शनियों और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से अभिलेखीय जानकारी का प्रसार, मौखिक इतिहास का प्रलेखीकरण, उर्दू और फारसी जैसी प्राच्य भाषाओं में अभिलेखों का प्रतिलेखन और अनुवाद तथा विभागीय अभिलेखीय परियोजनाओं और पहलों के लिए क्षमता-निर्माण सहायता शामिल है।

3. लक्ष्य एवं उद्देश्य

- i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की ऐतिहासिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक विरासत के विशेष संदर्भ सहित अभिलेखीय अभिलेखों और संबद्ध विषयों में उन्नत शोध को बढ़ावा देना।
- ii) अभिलेख प्रबंधन, संरक्षण, डिजिटलीकरण, माइक्रोफिलिमिंग और अभिलेखीय जानकारी के प्रसार पर केंद्रित शोध के माध्यम से दिल्ली अभिलेखागार विभाग में पेशेवर अभिलेखीय पद्धतियों को सुदृढ़ करना।
- iii) दिल्ली से संबंधित प्रामाणिक, साक्ष्य-आधारित शोध, प्रकाशन, प्रदर्शनियों और ज्ञान संबंधी परिणामों के सृजन हेतु विभाग के अभिलेखीय संग्रहों के साथ विद्वानों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना।
- iv) दिल्ली के इतिहास से संबंधित अभिलेखीय सामग्री के प्रलेखीकरण, संरक्षण और व्याख्या में सहयोग करना, जिसमें शासन, समाज, संस्कृति और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दिल्ली की भूमिका शामिल है।
- v) योग्य शोधकर्ताओं और पेशेवरों को एक संरचित अध्येतावृत्ति रूपरेखा के अन्तर्गत शामिल करके विशेष अभिलेखीय क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और कौशल विकास को सुगम बनाना।
- vi) ऐसे शोध परिणाम सृजित करना जो दिल्ली अभिलेखागार विभाग के संस्थागत सुदृढीकरण में योगदान दें और व्यवस्थित एवं सतत तरीके से अभिलेखीय विरासत तक सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाएं।
- vii) दिल्ली की समृद्ध अभिलेखीय विरासत के प्रचार और संरक्षण में युवा पेशेवरों, शोधकर्ताओं, उभरते अभिलेखविद, छात्रों और विरासत प्रेमियों को शामिल करना।
- viii) अभिलेखागार एवं अभिलेख प्रबंधन, संरक्षण, डिजिटलीकरण, प्राच्य भाषाएँ और संबद्ध अभिलेखीय विषयों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में क्षमता को सुदृढ़ करना और व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करना।
- ix) दिल्ली की प्रलेखीकरण विरासत को व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखना और उसका व्यापक प्रसार करना।
- x) विभाग के अभिलेखीय संसाधनों तक बेहतर पहुंच, परिरक्षण और प्रसार के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना।

4. अध्येतावृत्ति की संख्या, पात्रता आयु तथा निर्धारित योग्यता

इस योजना के अन्तर्गत 10 सीनियर शोध अध्येतावृत्ति (एसआरएफ) और 5 जूनियर शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) प्रदान की जाएंगी, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	शोध का कार्यक्षेत्र/क्षेत्र	पात्रता आयु	अध्येतावृत्ति की संख्या		निर्धारित योग्यताएँ
			एसआरएफ	जेआरएफ	
1.	अभिलेख प्रबंधन	40 वर्ष तक	01	01	उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आधुनिक भारतीय इतिहास के एक पेपर सहित इतिहास में मास्टर डिग्री (न्यूनतम 55% अंकों के साथ) और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत सरकार से अभिलेखागार एवं अभिलेख प्रबंधन में एक वर्षीय डिप्लोमा या किसी सरकारी संबद्ध कॉलेज/

					विश्वविद्यालय/ संस्थान से इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए।
2.	संरक्षण	40 वर्ष तक	01	01	उम्मीदवार के पास संरक्षण, परिरक्षण और विरासत प्रबंधन में मास्टर डिग्री अथवा संरक्षण में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष डिग्री (न्यूनतम 55% अंकों के साथ) होनी चाहिए। संरक्षण में पूर्व अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
3.	अंकुरण (डिजिटाइजेशन)	40 वर्ष तक	--	01	उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ बी.टेक (सूचना प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर विज्ञान)/एमसीए की डिग्री होनी चाहिए। डिजिटलीकरण में पूर्व अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
4.	सूचना/डेटा का प्रसार	40 वर्ष तक	01	--	उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री (न्यूनतम 55% अंकों के साथ) होनी चाहिए। सूचना/डेटा प्रसार तथा सोशल मीडिया में निपुणता सहित संचार प्रौद्योगिकी में न्यूनतम 5-10 वर्ष का अनुभव रखने वाले स्नातकोत्तर उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीदवार में नवाचार की क्षमता और सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञान प्रसार एवं प्रचार के लिए प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग की क्षमता होनी चाहिए। एसआरएफ के कार्यक्षेत्र निम्नलिखित हैं: क) दिल्ली के युवाओं और आम जनता के बीच अभिलेखीय विरासत के बारे में जानकारी देने और जागरूकता फैलाने के लिए संचार चैनल बनाना। ख) अध्येता से अपेक्षा की जाती है कि वह दिल्ली अभिलेखागार को सामग्री प्रबंधन और प्रचार सामग्री में सहायता करे। ग) अभिलेखागार की वेबसाइट को कार्यक्रमों/पहलों की नियमित अद्यतन के साथ अनुरक्षित रखना। घ) सोशल मीडिया के लिए ऑडियो-विजुअल प्रमो के रूप में विरासत को बढ़ावा देने वाली

					आकर्षक सामग्री का निर्माण, विकास और वितरण करना। ड.) सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली अभिलेखागार का प्रचार करना। च) प्रभावी मीडिया अभियान के निर्माण का प्रमाणित अनुभव। छ) सामुदायिक पहुँच। ज) प्रभावी संप्रेषण कौशल, संगठनात्मक, नेतृत्व और टीम निर्माण कौशल।
5.	माइक्रो-फिल्मिंग	40 वर्ष तक	--	01	उम्मीदवार के पास भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत सरकार से प्रतिलिपिकरण (रिप्रोग्राफी) में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (8 सप्ताह की अवधि) सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान (न्यूनतम 55% अंकों के साथ) में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
6.	अनुसंधान एवं प्रकाशन	40 वर्ष तक	06	--	उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आधुनिक भारतीय इतिहास में विशेषज्ञता/पेपर के साथ इतिहास में मास्टर डिग्री (न्यूनतम 55% अंक) होनी चाहिए। संपादन/अनुसंधान/प्रकाशन में पूर्व अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
7.	प्राच्य भाषाएँ (उर्दू/फ़ारसी)	कोई आयु सीमा नहीं	01	01	उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फ़ारसी/उर्दू में मास्टर डिग्री (न्यूनतम 55% अंकों के साथ) होनी चाहिए। फ़ारसी भाषा में पुराने 150 वर्ष से अधिक प्राचीन अभिलेखीय/भूमि अभिलेखों को पढ़ने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।
	कुल		10	05	

5. अध्येतावृत्ति राशि

- एसआरएफ: 50,000/- रुपये प्रति माह।
- जेआरएफ: 25,000/- रुपये प्रति माह।

6. चयन के मानदंड

- i) मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।
- ii) आवेदक को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में नियत तिथि तक आवेदन जमा करना होगा।
- iii) चयन मानदंड का विवरण निम्नानुसार है:

	शोध का कार्यक्षेत्र/क्षेत्र	डिग्री/डिप्लोमा	अंकों का महत्व	
i)	अभिलेखों का प्रबंधन/ अभिलेखीय क्षेत्र में अन्य संबंधित गतिविधियाँ	स्नातकोत्तर	55 से 59.99%	20
			60% और उससे अधिक	25
		एम.फिल		05
		पीएच.डी		10
		भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से अभिलेखागार एवं अभिलेख प्रबंधन में एक वर्षीय डिप्लोमा		10
		विषय-संक्षेप		10
		अनुभव		20
		साक्षात्कार		25
		कुल		100
ii)	शोध एवं प्रकाशन / प्राच्य भाषाएँ (उर्दू/फ़ारसी)	स्नातकोत्तर	55 से 59.99%	25
			60% और उससे अधिक	30
		एम.फिल		10
		पीएचडी		10
		विषय-संक्षेप		05
		अनुभव		20
		साक्षात्कार		25
		कुल		100
iii)	अंकुरूपण (डिजिटाइजेशन)	स्नातक	55 से 59.99%	20
			60% और उससे अधिक	25
		स्नातकोत्तर		15
		पीएचडी		10

		अनुभव		20
		विषय-संक्षेप		10
		साक्षात्कार		20
		कुल		100
iv)	सूचना/डेटा का प्रसार	स्नातक	55 से 59.99%	15
			60% और उससे अधिक	20
		स्नातकोत्तर		15
		पीएचडी		10
		अनुभव		25
		विषय-संक्षेप		10
		साक्षात्कार		20
		कुल		100
v)	संरक्षण	स्नातक	55 से 59.99%	15
			60% और उससे अधिक	25
		स्नातकोत्तर (संबंधित विषय में)		25
		विषय-संक्षेप		05
		अनुभव		25
		साक्षात्कार		20
		कुल		100
vi)	माइक्रोफिल्मिंग	स्नातक	55 से 59.99%	15
			60% और उससे अधिक	25
		स्नातकोत्तर		25
		भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से रिप्रोग्राफी में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम		10
		मान्यता प्राप्त संस्थान से फोटोग्राफी में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम		05
		विषय-संक्षेप		05
		अनुभव		15
		साक्षात्कार		15
		कुल		100

7. निगरानी

निगरानी समिति द्वारा प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा की जाएगी। असंतोषजनक प्रदर्शन के परिणामस्वरूप अध्येतावृत्ति को रोका या समाप्त किया जा सकता है।

8. सामान्य नियम एवं शर्तें

- I. अध्येतावृत्ति की अवधि ज्वाइनिंग की तिथि से एक वर्ष के लिए मानी जाएगी।
- II. एक व्यक्ति द्वारा किसी एक क्षेत्र में केवल एक ही आवेदन पर विचार किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन जमा करता है, तो वह विचारण हेतु पात्र नहीं होगा। अपूर्ण आवेदन प्रपत्रों को बिना समीक्षा के अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- III. यदि शोध कार्य प्रकाशित होता है, तो दिल्ली अभिलेखागार विभाग के पास उपर्युक्त प्रकाशित सामग्री पर कॉपीराइट होगा।
- IV. सरकार बिना कोई कारण बताए अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान किसी भी समय शोध अध्येता की सेवा समाप्त कर सकती है।
- V. शोध अध्येता भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, चिकित्सा देखभाल तथा उपचार या सरकारी कर्मचारियों और नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को स्वीकार्य किसी भी अन्य लाभ तथा रियायतों का पात्र नहीं होगा।
- VI. शोध अध्येता, सरकारी रिहायशी आवास या उसके बदले में मकान किराया भत्ता (एचआरए) के लिए पात्र नहीं होगा।
- VII. इस चयन से इस विभाग या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के किसी अन्य विभाग में वरिष्ठता या नियमित नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- VIII. शोध अध्येता, सक्षम प्राधिकारी, उप निदेशक (अभिलेखागार), कार्यालय प्रमुख (अभिलेखागार) और संबंधित प्रभारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए सभी कर्तव्यों का पालन करेगा/करेगी।
- IX. शोध अध्येता का चयन विभाग के पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में होगा तथा वह अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्यभार/अध्येतावृत्ति स्वीकार नहीं करेगा।
- X. शोध अध्येता को एक वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए शोध कार्य करना होगा। यदि कोई शोध अध्येता अपनी अध्येतावृत्ति छोड़ना चाहता है, तो उसे उस अवधि तक प्राप्त अध्येतावृत्ति राशि 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर सहित वापस करनी होगी।
- XI. यदि अध्येतावृत्ति प्राप्त करने की अवधि के दौरान, शोध अध्येता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी यदि यह गलत पायी जाती है, तो अध्येतावृत्ति को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा और शोध अध्येता को अध्येतावृत्ति राशि 12% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज सहित वापस करनी होगी।
- XII. शोध अध्येता का कार्य अध्येतावृत्ति योजना के मानदंडों और उद्देश्यों के आधार पर प्रत्येक तिमाही में मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा, विभाग समय-समय पर आंकलन भी निर्धारित कर सकता है। यदि प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो अध्येतावृत्ति स्थगित किया जा सकता है या उसे समाप्त भी किया जा सकता है।
- XIII. शोध अध्येता को दिल्ली अभिलेखागार विभाग या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा समय-समय पर उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किए जाने पर कार्यशालाओं/सेमिनारों/संगोष्ठियों और कार्यक्रमों में उपस्थित रहना होगा।
- XIV. यदि अर्धवार्षिक निष्पादन समीक्षाओं के दौरान अध्येतावृत्ति निरस्त की जाती है, तो अध्येता इस अध्येतावृत्ति के लिए दोबारा आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे, जब तक कि चयन समिति द्वारा अन्यथा निर्धारित न किया जाए।

- XV. अध्येता को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमोदन के अधीन 8 आकस्मिक अवकाश, 2 प्रतिबंधित अवकाश तथा सामान्य राजपत्रित अवकाश प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- XVI. किए गए शोध की प्रगति रिपोर्ट सफलतापूर्वक प्रस्तुत होने तथा निगरानी समिति के अनुमोदन पर भुगतान त्रैमासिक आधार पर जारी किया जाएगा।
- XVII. किया गया शोध कार्य मौलिक होना चाहिए तथा यह केवल 10% तक ही साहित्यिक पाठ की कॉपी करने के अधीन होगा। यदि कोई भी अध्येता साहित्यिक पाठ की कॉपी करने के परीक्षण को उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, तो निगरानी समिति के अनुमोदन से उसकी अध्येतावृत्ति तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।
- XVIII. उपर्युक्त में उल्लिखित मुद्दों के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
- XIX. यह अध्येतावृत्ति पूर्णकालिक नौकरी के रूप में प्रदान की जाती है तथा अध्येतावृत्ति अवधि के दौरान किसी अन्य कार्य की अनुमति नहीं है।
- XX. जिस अध्येता को अध्येतावृत्ति से सम्मानित किया गया है, उसे उत्तरोत्तर वर्षों में उसी अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- XXI. दिनांक 24.09.1968 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा यथा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा तथा दिनांक 15.05.2018 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से तथा नियमों के अनुसार दोहराया जाएगा।
- XXII. यह योजना केवल दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के उन निवासियों के लिए है जो न्यूनतम पांच वर्षों से वहां निवास कर रहे हैं।
- XXIII. अध्येता को दिल्ली अभिलेखागार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार जारी किए गए अनुदेशों का पालन करना होगा।
- XXIV. शोध परियोजना रिपोर्ट दिल्ली अभिलेखागार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की संपत्ति होगी।
- XXV. नियुक्ति की शर्तों से संबंधित कोई भी विवाद सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) द्वारा निपटाया जाएगा।

9. अपीलीय प्राधिकारी

शिकायत की स्थिति में, आवेदक इस संबंध में शिकायत के निवारण के लिए सचिव, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग से अपील कर सकता है तथा सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

यह मंत्रिमंडल के सचिव के दिनांक 29.06.2026 के पत्र संख्या फा0 53/822/सा0 प्रशा0 वि0/समन्वय/2026/702-711 के द्वारा परिचालित मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 3347 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
डॉ. के. महेश, सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

DEPARTMENT OF ART, CULTURE & LANGUAGES**NOTIFICATION**

Delhi, the 27th August, 2026

F. No. DA/37/2025-Records/1709 — In pursuance of Cabinet Decision No. 3347 dated 29/06/2026 approved by the Council of Ministers, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to approve the implementation of scheme **“Research Fellowship in Archives”** of Department of Delhi Archives.

1. Short Title and Commencement

- (i) These scheme may be called the **“Research Fellowship in Archives”**.
- (ii) The scheme shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Scope of Scheme

The Fellowship Scheme shall cover research and development activities based on archival records and allied materials held by the Department of Delhi Archives, including records management, appraisal, arrangement, description, conservation and preservation of archival material, digitization and microfilming, creation of metadata and digital assets, dissemination of archival information through publications, catalogues, exhibitions and digital platforms, documentation of oral histories, transcription and translation of records in oriental languages such as Urdu and Persian, and capacity-building support to departmental archival projects and initiatives, with the overarching objective of preservation, interpretation, and enhanced public access to the archival heritage of the National Capital Territory of Delhi.

3. Aim & Objective

- i) To promote advanced research in archival records and allied disciplines, with specific reference to the historical, administrative, and cultural heritage of the National Capital Territory of Delhi.
- ii) To strengthen professional archival practices in the Department of Delhi Archives through focused research in records management, conservation, digitization, microfilming, and dissemination of archival information.
- iii) To encourage scholarly engagement with archival holdings of the Department for creation of authentic, evidence-based research, publications, exhibitions, and knowledge outputs relating to Delhi.
- iv) To support documentation, preservation, and interpretation of archival material pertaining to the history of Delhi, including governance, society, culture, and the role of Delhi in the Indian national movement.
- v) To facilitate capacity building and skill development in specialized archival domains by engaging qualified researchers and professionals under a structured fellowship framework.
- vi) To generate research outputs that contributes to institutional strengthening of the Department of Delhi Archives and enhances public access to archival heritage in a systematic and sustainable manner.
- vii) To engage young professionals, researchers, emerging archivists, students, and heritage enthusiasts in the promotion and preservation of Delhi's rich archival legacy.
- viii) To strengthen capacity and encourage professional growth in key areas such as archives and records management, conservation, digitization, oriental languages, and allied archival disciplines.
- ix) Systematic safeguarding and wider dissemination of Delhi's documentary heritage.
- x) To promote the use of modern information technology and digital tools for improved access, preservation, and dissemination of archival resources of the Department.

4. Number of Fellowships, eligible age and prescribed qualification

The Scheme shall provide for award of 10 Senior Research Fellowships (SRF) and 5 Junior

Research Fellowships (JRF) detailed below:

S.No.	Field/Area of Research	Eligible Age	No. of Fellowships		Prescribed Qualifications
			SRF	JRF	
1.	Records Management	Up to 40 Years	01	01	Candidate should possess Master in History with a paper in Modern Indian History from recognised University (with minimum 55% marks) and One Year Diploma in Archives & Records Management from National Archives of India, Govt. of India or equivalent from any government affiliated college/university/ institution.
2.	Conservation	Up to 40 Years	01	01	Candidate should possess Master in Conservation, Preservation & Heritage Management OR Master in Conservation or equivalent (with minimum 55% marks). Candidate having prior experience in conservation will be given preference.
3.	Digitization	Up to 40 Years	--	01	Candidate should possess B. Tech (Information Technology/Computer Science)/MCA with minimum 55% marks) from recognised university. Candidate having prior experience in Digitization will be given preference.
4.	Dissemination of Information/Data	Up to 40 Years	01	--	Candidate should possess Graduation in any discipline (with minimum 55% marks) from recognised university. Preference will be given to candidate having Post-Graduation with minimum 5-10 years of experience in Communication Technology with proficient in dissemination of information/data and social media. The candidate must display capability for innovation and efficient use of technology for knowledge dissemination and promotion through Social Media. Scope of work of SRF :- - To create communication channels to inform and spread awareness about archival heritage amongst youth and general public of Delhi. - Fellow is expected to assist Delhi Archives in content management and publicity material. - To maintain the website of Archives with regular updates of programs/ initiatives. - To create, develop and distribute engaging content promoting heritage in the form of audio-visual promos for social media. - Publicize Delhi Archives through Social Media. - Demonstrable experience with

					building effective media campaigns. g) Community outreach. h) Good communication skills, organizational, leadership and team building skills.
5.	Micro-filming	Up to 40 Years	--	01	Candidate should possess Bachelor's Degree in Science from recognised university (with minimum 55% marks) along with Certificate Course (Duration 8 weeks) in Reprography from National Archives of India, Govt. of India.
6.	Research & Publication	Up to 40 Years	06	--	Candidate should possess Masters in History (minimum 55% marks) with specialization/ paper in Modern Indian History from recognised University. Candidate having prior experience in editing/ research/ publication will be given preference.
7.	Oriental Languages (Urdu/Persian)	No Age Bar	01	01	Candidate should possess Masters in Persian/Urdu (with minimum 55% marks) from recognised university. Preference will be given to candidate having experience in reading old archival/ land records of more than 150 years old in Persian.
	Total		10	05	

5. Fellowship Amount

- i) SRF: ₹50,000/- per month.
ii) JRF: ₹25,000/- per month.

6. Criteria of Selection

- i) An advertisement will be published in leading newspapers.
ii) Applicant have to submit an application in prescribed format alongwith requisite documents by due date.
iii) Selection Criteria detailed below:

	Field/Area of Research	Degree/ Diploma	Weightage of Marks	
i)	Records Management/ Other related activities in Archival Field	Post Graduate	55 to 59.99 %	20
			60% and above	25
		M.Phil		05
		Ph.d		10
		One Year Diploma in Archives & Records Management from National Archives of India		10
		Synopsis		10
		Experience		20

		Interview		25
		Total		100
ii)	Research &	Post Graduate	55 to 59.99 %	25
	Publication/ Oriental Languages (Urdu/Persian)			
			60% and above	30
		M.Phil		10
		PhD		10
		Synopsis		05
		Experience		20
		Interview		25
		Total		100
iii)	Digitization	Graduate	55 to 59.99 %	20
			60% and above	25
		Post Graduate		15
		Ph.D		10
		Experience		20
		Synopsis		10
		Interview		20
		Total		100
iv)	Dissemination of Information/Data	Graduate	55 to 59.99 %	15
			60% and above	20
		Post Graduate		15
		Ph.D		10
		Experience		25
		Synopsis		10
		Interview		20
		Total		100
v)	Conservation	Graduation	55 to 59.99 %	15
			60% and above	25
		Post Graduation (In relevant discipline)		25
		Synopsis		05
		Experience		25
		Interview		20
		Total		100
vi)	Microfilming	Graduation	55 to 59.99 %	15
			60% and above	25
		Post Graduation		25
		Certificate Course in Reprography from National Archives of India		10

		Certificate Course in		05
		Photography from recognised institute		
		Synopsis		05
		Experience		15
		Interview		15
		Total		100

7. Monitoring

Performance shall be reviewed periodically by the Monitoring Committee. Unsatisfactory performance may result in withholding or termination of the fellowship.

8. General Terms & Conditions

- I. The Fellowship tenure will be considered for the period of One Year from the date of joining.
- II. Only one application in any one field from one individual will be considered. In case a candidate submits more than one application, he/she will not be eligible for consideration. Incomplete application forms will be rejected without review.
- III. In case research work is published, the Department of Delhi Archives will have copy right on the aforesaid published material.
- IV. The Government can terminate Research Fellow at any time during the period of Fellowship without assigning any reason.
- V. The Research Fellow shall not be entitled to any benefits of Provident Fund, Pension, Gratuity, Medical Attendance and treatment or any other benefits and concessions admissible to Government servants and appointment on regular basis.
- VI. The Research Fellow will not be entitled to Government residential accommodations or HRA in lieu of thereof.
- VII. The selection shall not confer any right to claim seniority or regular appointment in this Department or any other department of Government of National Capital Territory of Delhi.
- VIII. The Research Fellow shall perform all duties assigned to him/her time to time by the Competent Authority, Deputy Director (Archives), Head of Office (Archives) and concerned In-Charge.
- IX. The selection of the Research Fellow shall be as a full-time employee of the Department and shall not accept any other assignment/fellowship during the period of Fellowship.
- X. The Research Fellow has to take the research for the complete period of One year. In case Research Fellow wants to discontinue, then he/ she has to refund the Fellowship amount received till that period with interest of 12% p.a.
- XI. If during course of receiving the Fellowship, any information submitted by Research Fellow is found incorrect, then Fellowship will be immediately terminated and Research Fellow has to refund the Fellowship amount along with the interest penalty @12% p.a.
- XII. The work of the Research Fellow will be evaluated every quarter based on the criteria and objectives of the Fellowship Scheme. Apart from this, the Department may also set assessments from time to time. If the progress is not found satisfactory, the Fellowship may be withheld or even terminated.
- XIII. The Research Fellow have to be present for Workshops/Seminars/Symposia and events that will be conducted by Department of Delhi Archives OR any other Department of Government of NCT of Delhi, when directed to attend from time to time.
- XIV. In the event, the Fellowship is cancelled during half yearly performance reviews, the Fellow will not be eligible to re-apply for this Fellowship unless otherwise determined by the Selection Committee.

- XV. The Fellow will be entitled for 8 Casual Leaves, 2 Restricted Holidays and usual Gazetted Holidays subject to prior approval of the Competent Authority.
- XVI. Payment shall be released on quarterly basis upon the successful submission of the progress report of research undertaken and on the approval of the Monitoring Committee.
- XVII. Research work undertaken shall be original and subject to plagiarism text up to 10% only. If any fellow fails to pass the plagiarism test, his/her fellowship shall be terminated immediately with the approval of the Monitoring Committee.
- XVIII. Decision of the Government of NCT of Delhi on any other issue not mentioned above shall be final.
- XIX. Fellowship is awarded as full time job and no other work is allowed during the fellowship period.
- XX. A Fellow who has been awarded the Fellowship shall not be permitted to apply for the same Fellowship in successive years.
Reservation Policy for SC/ST/OBC will be adhered as prescribed by DoPT vide OM dated 24.09.1968 and reiterated vide OM dated 15.05.2018 and as per rules.
- XXI. This Scheme is for the residents of Union Territory of Delhi only who is residing for a minimum of five years.
- XXII. The fellow shall have to abide by the instructions as and when issued by the Department of Delhi Archives, GNCTD.
- XXIII. The Research Project Report shall be the property of the Department of Delhi Archives, GNCTD.
- XXIV. Any dispute arises out of the term of engagement shall be addressed by the Secretary (ACL).

9. Appellate Authority

In case of Grievances, the applicant may appeal to the Secretary, Department of Art, Culture & Languages for redressal of grievance in this regard and the decision of the Secretary shall be final.

This issues in pursuance of Cabinet Decision No.3347 circulated vide letter No F.53/822/GAD/CN/ 2026/ 702-711 dated: 29.06.2026 of the Secretary to the Cabinet.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
Dr. K. MAHESH, Secy. (Art, Culture & Languages)